कार्यालय उप वन संरक्षक, बांसवाड़ा

क्रमांक प. 14( ) विविध/उवसं/2019/ 5463 दिनांकः– 27/8/19

निमित्त,
अधिशासी अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग,
परियोजना खंड–प्रथम, बांसवाड़ा।

विषय :–जिला बांसवाड़ा के अंतर्गत पंचायत समिति कुशलगढ़ एवं सज्जनगढ़ के 399 गावों एवं 395 ढाणियों में पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहद पेयजल परियोजना निर्माण के कार्य में प्रभावित होने वाली 16.4546 हेक्टेयर वनभूमि के प्रत्यावर्तन बाबत।

सन्दर्भः– आपका पत्र क्रमांक 208–209 दिनांक 05.08.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि आपके उक्त संदर्भित पत्र से प्राप्त प्रस्ताव का अवलोकन कराने पर प्रस्ताव में प्रथम दृष्टया निम्न कमियां पाई गई है जिनके संबंध में आपके कार्यालय से सूचनाएं/स्पष्टीकरण दिया जाना वांछित हैः–

1. क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु समतुल्य गैर वन भूमि का आरक्षण नहीं करवाया गया है।
2. प्रस्तावित किए गए समस्त कार्यों से सृजित होने वाले मलबे के निस्तारण कि योजना संलग्न प्रस्तुत नहीं की गई है।
3. भारतीय सर्वेक्षण विभाग के भौगोलिक स्थलाकृति मानचित्र पर कार्यवार वांछित वैकल्पिक संरेखण को प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत किया जाना वांछित है।
4. सेगमेंट–3 में निर्माण हेतु प्रस्तावित की गई 974 मीटर लंबी ट्रांसमिशन लाइन के साथ पूर्व से विद्यमान ट्रांसमिशन लाइन को नहीं दर्शाई गया है।
5. प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार उक्त परियोजना में विभिन्न प्रकार के कुल 11 कार्यों का निर्माण करवाया जाना प्रस्तावित है, जिनका रेखाचित्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। समस्त कार्यों का प्रथक–प्रथक रेखा चित्र संबंधित कार्यों के समस्त अवयवों/संघटकों तथा विस्तृत परिमाप को दर्शाते हुए प्रस्तुत किया जाना वांछित है। ट्रांसमिशन लाइन के मामले में वांछित रेखा चित्र में लगाए जाने वाले पोल्स की कुल संख्या एवं पोल्स के मध्य की दूरी भी दर्शाई जावे।
6. प्रस्ताव में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006, नियम 2008 एवं संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत वांछित Forest rights settlement की प्रक्रिया पूर्ण नहीं की गई है, एवं निर्धारित प्रारूप में जिला कलक्टर, बांसवाडा से वांछित प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं किया गया है।
7. उक्त परियोजना के निर्माण के लिये प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित की गई 16.4546 हेक्टेयर रक्षित वनभूमि के अलावा यदि ऐसी अन्य कोई और भूमि भी परियोजना में सम्मिलित की गई हो जिसका स्वामित्व वन विभाग का तो नहीं है किंतु वह भूमि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा प्रकरण संख्या 131/2014 में दिनांक 23.02.2015 को दिये गये निर्णय तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 202/95 में दिनांक 12.12.1996 में दिये गये निर्णय के अनुसार वन भूमि के रूप में परिभाषित किया गया है एवं उस पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 लागू होता है तो ऐसी भूमि को भी प्रत्यावर्तन प्रस्ताव में सम्मिलित किया जाना अनिवार्य होगा। अतः इस आशय का पृथक से शपथ पत्र प्रस्तुत करें कि आप द्वारा प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित की गई 16.4546 हेक्टेयर रक्षित वन भूमि के अलावा एसी अन्य कोई और भूमि परियोजना के निर्माण में सम्मिलित नहीं की गई है जो उपरोक्तानुसार वन भूमि की परिभाषा में आती हो एवं जिस पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 लागू होता हो।

(सुगनाराम जाट)
उप वन संरक्षक,
बांसवाड़ा

D:\THE MOON\Mayank\PHED\PHED.docx